न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई प्रथम, आर.ए.एस.

223RTA2024-153(GCMS2024-367)

जगदीश पुत्र लूणाराम जाति माली
निवासी रामपुरा भाटीयान
तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

--- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. मदनलाल पुत्र मोहनराम
2. भंवरलाल पुत्र मोहनराम
3. शिवलाल पुत्र मोहनराम
4. संतोषसिंह पुत्र मोहनराम
5. सायरी पत्नी मोहनराम
6. चिडीदेवी पत्नी मदनलाल
7. मेनादेवी पत्नी भंवरलाल
8. ओमाराम पुत्र लूणाराम
9. रतनाराम पुत्र बाबूलाल
10. छोटूदेवी पत्नी बाबूलाल
    सभी जाति माली, निवासीगण रामपुरा भाटीयान
    तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर
11. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार, तिंवरी
    जिला जोधपुर

--- रेस्पोडेण्ड्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसिंया दिनांक 27 जनवरी 2021 राजस्व वाद संख्या 55/2020 अनवान मदनलाल बनाम जगदीश

—— 0 ——

उपस्थित -

श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता अपीलांट
श्री सत्यदेव सिंह चारण, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 10
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 17 दिसम्बर 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2020 अनवान मदनलाल बनाम जगदीश में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 27 जनवरी 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 11 सितम्बर 2024 को पेश की है। साथ ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर विलम्ब क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. मदनलाल आदि ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम सिन्धीयों की ढाणी स्थित आराजी खसरा संख्या 346 रकबा 53 बीघा 18 बिस्वा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2021 को स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिकी जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य मामले में तमाम कार्यवाही अत्याधिक जल्दबाजी एवं आनन-फानन में की गयी है, अपीलाण्ड्स पर विधिवत नोटिस जारी कर तामील नहीं करवायी गयी है और प्राथमिक डिकी दिनांक 27 जनवरी 2021 कोई स्पीकिंग निर्णय पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किये बिना ही जारी कर दी गयी। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट् ने जाहिर किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत अपीलाण्ट को कोई जानकारी नही थी, स्वयं अपीलाण्ट द्वारा इसी खसरा नम्बर की भूमि एवं इन्हीं पक्षकारान के मध्य एक दावा सन् 2020 में न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसिंया के समक्ष पेश किया गया, जो वर्तमान में विचाराधीन है। दिनांक 06 सितम्बर 2024 को पटवारी हळका रेस्पो. के साथ मौके पर आया और अपीलाण्ट के पूछने पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रति बताई, तब अपीलाण्ट द्वारा विचारण न्यायालय में नकलें आदि प्राप्त कर जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है, जो अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा दावा संस्थित किये जाने के बाद विधिवत प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, अपीलाण्ट सहित प्रतिवादीगण के तामीलशुदा सम्मन विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। समुचित तामील के उपरान्त भी अपीलाण्ट-प्रतिवादी विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर नियमानुसार उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश दिनांक 04 अक्तूबर 2020 पारित किया गया। उसके बाद मूल वाद की कार्यवाही में वादीगण-रेस्पो. की साक्ष्य सुनवाई के बाद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अपीलाण्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान के हिस्सों बाबत कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। इतना ही नहीं, अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब को कोई समुचित संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण भी मियाद प्रार्थनापत्र में अंकित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मध्यनजर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दावा दिनांक 22 जुलाई 2020 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट एवं अन्य प्रतिवादीगण के तामीलसुदा सम्मन विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज संख्या 31 से 34 उपलब्ध है। जिससे अपीलाण्ट पर सम्मन की समुचित तामील होना पाया जाता है। समुचित तामील के उपरान्त भी अपीलाट व अन्य प्रतिवादीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ आदेशिका दिनांक 04 अक्तूबर 2020 मे इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात मूल वाद की कार्यवाही में वादीगण-रेस्पो. की साक्ष्य सुनवाई के बाद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। इस प्रकार जाहिर है कि विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में निर्धारित विधिक प्रकिया के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनुरूप कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है। आलौच्य अपील स्तर पर भी अपीलाण्ट की ओर से वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान के हक-हिस्सों बाबत कोई आक्षेप नहीं उठाया गया है। इन परिस्थितियों में आलौच्य अपील में कोई सार नजर नहीं आता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में विलम्ब का कोई सुमुचित, संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण नहीं दर्शाया गया हैं। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री न्यायोचित, निर्धारित विधिक प्रकियाके अनुरूप एवं विधिसम्मतः होने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार नजर नहीं आता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदुनसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 जनवरी 2021 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओम प्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पो.
जगदीश पुत्र लूणाराम जाति माली निवासी रामपुरा भाटीयान तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर	**ब**	1. मदनलाल पुत्र मोहनराम 2. भंवरलाल पुत्र मोहनराम 3. शिवलाल पुत्र मोहनराम 4. संतोषसिंह पुत्र मोहनराम 5. सायरी पत्नी मोहनराम 6. चिडीदेवी पत्नी मदनलाल 7. मेनादेवी पत्नी भंवरलाल
	ना	8. ओमाराम पुत्र लूणाराम 9. रतनाराम पुत्र बाबूलाल 10. छोटूदेवी पत्नी बाबूलाल सभी जाति माली, निवासीगण रामपुरा भाटीयान तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर
	म	11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तिंवरी जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसिंया दिनांक 27 जनवरी 2021 राजस्व वाद संख्या 55/2020 अनवान मदनलाल बनाम जगदीश

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 17 दिसम्बर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार मिनजानिब अपीलाण्ट एवं अधिवक्ता श्री सत्यदेव सिंह चारण एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिकी न्यायोचित, निर्धारित विधिक प्रकियाके अनुरूप एवं विधिसम्मतः होने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य एवं आधार नजर नहीं आता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदुनसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27 जनवरी 2021 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 17 दिसम्बर 2024 को जारी किया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर